झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

सं0–3/अ0क्षे0स्था0–(नियुक्ति/अमीन)–35/15..................08.../रा0, दिनांक–02-01-18

विभागीय अधिसूचना संख्या–3/अमीन नियमावली–126/2010–3683/रा0, दिनांक–25.11.13 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड राज्य अमीन सम्वर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) नियमावली–2013 की कंडिका–12(घ) को विलोपित करते हुए झारखण्ड अमीन सम्वर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) नियमावली–2013 की कंडिका–5(ii) (क) में निम्नवत् जोड़ा जाता है :–

"अमीन के पद पर नियुक्त होकर योगदान देने के समय सिविल सर्जन की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय चिकित्सा पर्षद से विहित प्रपत्र में प्राप्त चिकित्सा प्रमाण–पत्र जमा करना होगा। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को जिला स्तरीय चिकित्सा पर्षद के स्वास्थ्य परीक्षण पर संदेह अथवा प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होने की स्थिति में अभ्यर्थी यदि चाहें तो अधीक्षक, रिम्स की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय चिकित्सा पर्षद, झारखण्ड, राँची के समक्ष अपील दायर कर सकते है।"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

2/1/18

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–3/अ0क्षे0स्था0–(नियुक्ति/अमीन)–35/15.............08.../रा0 राँची, दिनांक– 02-01-18

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2/1/18

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–3/अ0क्षे0स्था0–(नियुक्ति/अमीन)–35/15.........08......./रा0 राँची, दिनांक– 02-01-18

प्रतिलिपि :– सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष /सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/1/18

सरकार के संयुक्त सचिव।